प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 1014 / 2022

अनवान : –

1. असलम
2. युनस
3. शौकिन
4. हसन

पि0 रजाक जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. नजमा पत्नी यासीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मजिदा पत्नी श्योकत अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. रूबिना पत्नी फिरोज जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 19.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 56 / 115 के प0न0 306 / 437 मु0न0 44 के किला न0 7 / 2 की 0.1260 हैक्ट बारानी भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 129 / 145 के प0न0 306 / 437 के मु0न0 44 के किला न0 7 / 1 की 0.1270 हैक्ट बारानी के किला न0 14 की 0.2530 हैक्ट, 15 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 307 / 437 मु0न0 43 के किला न0 11 की 0.2530 हैक्ट कुल 0.8860 हैक्ट बारानी खातेदारी भूमि स्थित है।

उक्त दोनों खातों की भूमि पहले एक ही खाता की संयुक्त भूमि थी तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने दोनों खातो का सहमति से खाता तकसीम करवा लिया तथा वादीगण के कब्जा में रोही मौज चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 307 / 437 मु0न0 43 किला न0 11 में 0.1260 हैक्ट भूमि थी जिसमें वादीगण ने ढाणी बना रखी है लेकिन खाता तकसीम करते समय भुलवंश व टंकणीय गलती के कारण किला न0 11 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी तथा वादीगण के किला न0 7 / 2 [illegible]260 हैक्ट भूमि का खाता स0 लगान तकसीम सहमति से हो गया था ले[illegible] [illegible]260 हैक्ट भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण खाता तकसीम से पूर्व [illegible] चली आ रही है [illegible]दीगण शान्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने जमाबंदी प्राप्त की तो पता चला की वादीगण के नाम से 11/2 की बजाय किला न0 7/2 की भूमि दर्ज कर रखी है।

रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 306/437 के मु0न0 44 के किला न0 7/2 की 0.1260 हैक्ट भूमि के स्थान पर प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने रोही मौजा चक 1 एनएचआरए तहसील नोहर के प0न0 307/437 के मु0न0 43 के किला न0 11 में पश्चिम हिस्सा 0.1260 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम दर्ज है जिसमें वादीगण ने अपनी ढाणी बना रखी है तथा शेष पूर्वी हिस्सा 0.1270 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखी जावें वादीगण के नाम की जावें तथा रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 306/437 मु0न0 44 के किला न0 7/2 की 0.1260 हैक्ट में वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर किला न0 7 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण कके नाम दर्ज की जावे। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि का पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति से खाता विभाजन हुआ था जिसमें वादीगण के हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि वादीगण के नाम दर्ज हो गई जिसे अब वादीगण अपने हिस्सो की भूमि को अपने एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा चाहते है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 56/115 के प0न0 306/437 मु0न0 44 के किला न0 7/2 की 0.1260 हैक्ट बारानी भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 129/145 के प0न0 306/437 के मु0न0 44 के किला न0 7/1 की 0.1270 हैक्ट बारानी के किला न0 14 की 0.2530 हैक्ट, 15 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 307/437 मु0न0 43 के किला न0 [illegible] 0.2530 हैक्ट कुल 0.8860 हैक्ट बारानी खातेदारी भूमि स्थित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाता है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है अतः वादी का वाद डिक्री फरमावें।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 306/437 के मु0न0 44 के किला न0 7/2 की 0.1260 हैक्ट भूमि जो की वादीगण के नाम दर्ज है यह सम्पूर्ण किला न0 7 की 0.2530 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 307/437 के मु0न0 43 के किला न0 11 की 0.253 हैक्ट भूमि में से 11/2 की 0.1260 हैक्ट पश्चिम हिस्सा ढाणी बनी हुई की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि किला न0 11/2 की 0.1270 हैक्ट प्रतिवादीगण के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1014/2022

अनवान : –

1. असलम
2. युनस
3. शौकिन
4. हसन

पि0 रजाक जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. नजमा पत्नी यासीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मजिदा पत्नी श्योकत अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. रूबिना पत्नी फिरोज जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1014 सन 2022 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 306/437 के मु0न0 44 के किला न0 7/2 की 0.1260 हैक्ट भूमि जो की वादीगण के नाम दर्ज है यह सम्पूर्ण किला न0 7 की 0.2530 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 307/437 के मु0न0 43 के किला न0 11 की 0.253 हैक्ट भूमि में से 11/2 की 0.1260 हैक्ट पश्चिम हिस्सा ढाणी बनी हुई की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि किला न0 11/2 की 0.1270 हैक्ट प्रतिवादीगण के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:59:11 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा